रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1206] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2017/वैशाख 8, 1939
No. 1206] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2017/VAISAKHA 8, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2017

का.आ.1366(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 62(अ), तारीख 7 जनवरी, 2016, प्रारुप अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस जिसमें अधिसूचना अन्तर्विष्ट है राजपत्र की प्रतियां, जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, साठ दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नही हुए हैं;

और कांबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य, आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापटनम मेगा शहर के केन्द्र में अवस्थित है और 83.04´ से 83.20´ देशांतर और 17.34´ से 17.47´ अक्षांश के बीच 71.39 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, कांबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य की जैव-विविधता समृद्ध हैं जिसमें 73 वृक्ष प्रजातियां, जड़ी-बूटियों तथा झाडियों की 39 प्रजातियों और लताओं की 18 प्रजातियों तथा बांस की 2 प्रजातियां और घासों की 7 प्रजातियों, 23 स्तनपायी प्रजातियों, सरीसृपों की 7 प्रजातियों सहित पक्षियों की 90 से अधिक प्रजातियां समाविष्ट की गई हैं ;

और, कांबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य में अनेक किस्मों की वनस्पतिजात है और झाड़ी वाले जंगल, *फाइकस बेंघालेन्सिस* (बनयान)(मार्री), *अकेशिया ल्यूकोफोलिया* (वाइट ब्रेक अकेशिया)(तेल्ला तुम्मा), *अकेशिया सुन्द्रा* (कुच्छ ट्री)(सुन्द्रा), *सैपिन्डस इमर्जिनेटस* (सोअफुट वृक्ष)(कुनकुदु), *और राइटिया टिंक्टोरिया* (पाला इनदीगो)(रेप्पआला), आदि इस क्षेत्र की प्रमुख वृक्ष प्रजातियां हैं ;

और, क्षेत्र प्राणी-जात विविधता से समृद्ध है जिसमें तेंदुआ (*पेंथेरा पार्डस*) (चिरुता पुली), रीछ (*मेलयूरूस अरसिनस*), बनैला सूअर (*सूस स्क्रोफा*)(इलुगु), सांभर(*रुसा यूनिकोलर*) (कानिथी), काकड़ हिरण (*मुनतअकस मुनतंजक*)(मोरिग डूप्पि), पिसूरी (*तरागुसलुस मेमिन्ना*)(कुमिदी डुप्पि), चित्तीदार हिरण (*ऐक्सिस ऐक्सिस*)(डूप्पि), सियार(*कनिस अयरेस*)(नक्का) और जंगली कुत्ता (*कुओन अलपिनेस*)(रेछ्रू रूक्का), आदि सम्मिलित हैं ;

और, कांबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य, विशाखापटनम के सुरक्षित क्षेत्र के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो को तथा उनके प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ **पठित** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य में कम्बलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 4.33 किलोमीटर की दूरी तक उत्तरी दिशा पर उत्तरी सीमा से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की वजह से) शून्य से गुजरने वाले क्षेत्र को कंबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.—** (1) आन्ध्र प्रदेश राज्य के विशाखापटनम जिला में पारिस्थितिक संवेदी जोन 30.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है और इसमें में 2 मंडलो अर्थात् आनन्दापुरम और छिनांगधिली जिला विशाखापटनम में 14 ग्राम सम्मिलित हैं ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा शून्य से उत्तरी दिशा पर (उत्तरी दिशा पर राष्ट्रीय राजमार्ग के गुजरने के कारण) 4.33 किलोमीटर की दूरी पर कम्बलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से भिन्न हो रही है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है और ग्रामों की सूची **उपाबंध II** में दी गई है ।

(4) अक्षांश-देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.— (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी अनुमोदन के लिए दिए गए अनुबंधों के अनुसरण में आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति में जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, अनुरूप भी तैयार की जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी,:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि ;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना में तब तक अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन तब तक अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों को सुधारने और अधिक दक्ष और पारिस्थितिक बनाने के लिए एक कारक होगा ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध किया जाएगा ।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों को समर्थकारी मानचित्रों के साथ अभ्यांकित किया जाएगा योजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण देते हुए मानचित्रो द्वारा समर्थित होगी ।

(7) आंचलिक महायोजना में, पारिस्थितिक संवेदी जोन के विकास किया जाएगा और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा और स्थानीय समुदायों के सुरक्षित जीव को प्रार्जन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल विकास को भी सुनिश्चित और सुरक्षित किया जाएगा ।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-विस्तार होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना मानीटरी समित के लिए इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार मानीटरी करने उसके कार्यों के कार्यान्वयन के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.**— राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्नाकित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का मुख्य वाणिज्यक या मुख्य आवासिक काम्पेल्कस या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, इसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सुसंगत राज्य विधियों और केद्रीय सरकार / राज्य सरकारो के ऐसी अन्य नियमों और विनियमों के अधीन जो लागू हो, सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधो द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा है, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और पैरा 4 में दिए गए स्थानीय क्रियाकलाप भी है:

परंतु यह और कि सुंसगत राज्य विधियों और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपदर्शित, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) वनीकरण और प्राकृतिक वास सम्बधी क्रियाकलापों को पुन:स्थापित करन के लिए और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत --** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों नदियों और जलांतरालो की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी ।

(3) **पारिस्थितिक पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन सम्बधी क्रियाकलापो का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगा ।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, किसी नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट, का संन्निमार्ण अनुज्ञात नहीं होगा। और वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए होटलो और रिसोर्ट की स्थापना पर्यटन महा योजना के अनुसार केवल पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व परिभाषित और अभिचिन्नित क्षेत्रो में ही अनुज्ञात होगी;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रिय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा पारिस्थितिक पर्यटन पर बल देते हुए जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गो, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए योजना आंचलिक महायोजना के भाग रूप विरासत संरक्षण योजना बनाई जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण की विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी आंचलिक महायोजना का भाग रूप होगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियम, 2000 का पालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों सामान्य मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानको के अंतर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषको के निस्सारण से सम्बधित उपबंधो के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ; और
अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में किया जा सकेगा;

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि. 343(अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुंसगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा जैसे सीएनजी, एलपीजी, आदि स्वच्छक ईंधन के उपयोग प्रयास किया जाएगा ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में केवल उद्योगो के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों का संवर्धन किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों उपदर्शित किया जाएगा जहां संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी ।

(ख)कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी ।

(18) यदि यह आवश्यक समझा जाता है,तो इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अन्य अतिरिक्त उपायों विनिर्दिष्ट होगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अंतर्गत तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), अधिसूचना 2011 भी है और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) के उपबंधो और उसके किए गए संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है; (ख) खनन संक्रियाए माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोदावर्ममन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 4 अगस्त, 2006 के आदेशो के अनुसार और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसार होगी।
2.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि आदि प्रदूषण कारित करने वाले नए उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्गीकरण में हरित या श्वेत कृषि रूप में वर्गीकृत उद्योगों को जिसके अन्तर्गत कृषि आधारित उद्योग भी है विनियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
3.	प्रमुख पनबिजली परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रांव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	फर्मो, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
8.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यक स्थापना।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित लघु को अस्थायी संरचना के सिवाय संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक जो भी निकटतम हो कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परन्तु संरक्षित क्षेत्र सीमा से एक किलोमीटर के पश्चात और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकटतम हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जो लागू हो, के अनुरूप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो किसी भी प्रकार का काई नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत भवन उपविधयों के पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और

		विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर के पश्चात आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
11.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
14.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जाएगा।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमिंत होंगे और भूमिगत केबल बिछाने को बढावा दिया जाएगा।
17.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, दुग्ध उद्योग कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा।
22.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
23.	खुले कुआ, बोर जल, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रुप से बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. **मानीटरी समिति.—** केद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदन्त शक्तियों को उपयोग करते हुए पारिस्थितक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:--

(i) जिला कलक्टर, विशाखापटनम - अध्यक्ष;

(ii) गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है जिसे आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य ;

(iii) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

(iv) सदस्य-सचिव / राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य - सदस्य ;

(v) क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेडक – सदस्य ;

(vi) क्षेत्र का ज्येष्ठ नगर योजनाकार/मुख्य शहरी योजनाकार/नगरी योजनाकार - सदस्य;

(vii)उप-वन संरक्षक (अभयारण्य का भारसाधक), विशाखापटनम – सदस्य सचिव।

(2) निर्देश - निबंधन

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का.आ 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में आते है और जो पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आते है इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित यथाविनिर्दिष्ट मानीटरी सिमित द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधो के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(ग) ऐसे क्रियाकलाप, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूची में नहीं आते है, किंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आते है, इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय सभी क्रियाकलापो की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित यथाविनिर्दिष्ट मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और संबधित विनियामक प्राधिकारियों को निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(घ) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या सम्बधित पार्क का वनपालक, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होंगे ।

(ड.) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(च) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य जीव वार्डन **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(छ) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।

7. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित किए जाने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन, होंगे ।

[फा.सं. 25/53/2014-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

पारिस्थितिक-संवेदी जोन का सीमा विवरण:

क से ख: यह मिंडीवानीपलेम ग्राम के उत्तर-पूर्व में 17.879530° उत्तरी ओर 83.31665° पूर्वी निर्देशांकों से लगे स्थल से शुरु होता है। यह सीमा रेखा एनएच-38 के किनारे से जाती है और गंभीरम रिजर्वायर के समीप दिलोक्स के पीछे से गुजरकर 17.87368 उत्तरी और 83.36599 पूर्वी निर्देशांक से लगे स्टेशन 'ख' को छूती है। क से ख स्टेशन की कुल दूरी 6.985 कि.मी. है। इस पारिस्थितिक-संवेदी जोन की परिधि 200-780 मीटर लंबी है। वर्तमान में राज्य राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित पारिस्थितिक-संवेदी जोन की दूरी 200 मीटर है।

ख से ग: यह रेखा पारादेसीपलेम ग्राम से होकर एनएच-5 और उत्तर 17.85700° पूर्वी 83.36642° के निर्देशांकों से स्टेशन सं. ग तक अभयारण्य सीमा के साथ साथ गुजरती है। स्टेशन ख से ग की दूरी कि.मी 1.854 है इस पारिस्थितिक संवेदी जोन की परधि की लम्बाई 140-308 मीटर है। प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर की सीमा 100 मीटर है।

ग से घ: यह सीमा रेखा बोरा वनीयापलेम गांव के पीछे से होकर दक्षिण पश्चिम दिंशा की ओर जाती है और देवीमेट्टा के चारो तरफ होकर उत्तर 17.83320° पूर्व 83.32771° निर्देशांको के साथ स्टेशन घ पर पहुंचती है जो कोमाडी गांव के पीछे स्थित चैतन्य इंजीनियरिंग कॉलेज के पास स्थित है ग से घ स्टेशन की कुल दूरी 5.469 किलोमीटर है पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र की वित लम्बाई 100-690 मीटर है प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के संरक्षित के चारों ओर की सीमा 100 मीटर है।

घ से ङ: यह रेखा पट्टा भूमियों से होकर दक्षिण पूर्वी में और कोमाडी, रेवालापलेम ग्रामों की खाली भूमियों से होकर जाती है जिसमें पुलिस प्रशिक्षण केद्र और बाबा प्रौद्योगिक एवं विज्ञान संस्थान शामिल है तथा यह उत्तर 17.79258° पू 83.35585° निर्देशांको से हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी एवं प्राईवेट लेआइट्स से होकर गुजरती है: घ से ङ स्टेशन की कुल दूरी **5.121** किलोमीटर है । पारिस्थितिक संवेदी जोन की परिधि की लंबाई 100-286 मीटर है संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित दूरी **100** मीटर है।

ङ से च: रेखा एनएच-5 के दक्षिण की ओर से उत्तर दिशा की ओर गुजरती है और सीथाकोंडा आरक्षित वन की सीमा से होकर गुजरती है जिसमें इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान, विशाखापटनम शामिल है, और उ. 17.75352°पू. 83.35258° के

निर्देशांकों से स्टेशन 'च' में इंडाडा ग्राम के परिसर से होकर गुजरती है । पारिस्थितिक संवेदी जोन की परिधि की सीमा लंबाई 100-1360 मीटर है । रिजर्व वन के क्षेत्र को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर की प्रस्तावित दूरी 100 मीटर है ।

च से छ: यह रेखा सीथाकोंडा आरएफ रविन्द्र नगर, आरीलोवा कॉलोनियों के दक्षिण में पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और उ. 17.76622⁰ पू.83.30101⁰ के निर्देशांको से मुडासरलोवा रिजर्वायर में स्टेशन 'छ' पर पहुंचती है। स्टेशन च से छ की कुल दूरी कि.मी 6697 है। इस पारिस्थितिक संवेदी जोन की परिधि की सीमा लंबाई 127-1280 मीटर है। संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित दूरी 300 मीटर है ।

छ से ज: यह रेखा, पाईन एप्पल कॉलोनी और दारापलेय के पीछे पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और बीआरटीएस को कवर करते हुए पाटा अडाविवरम जंक्शन को छूती है तथा उ.17.77881⁰ पू. 83.25546⁰ के निर्देशांकों से स्टेशन ज को छूती है। ज से झ स्टेशन की कुल दूरी 3.375 कि.मी. है। इस पारिस्थितिक-संवेदी जोन की परिधि की सीमा लंबाई 240-418 मीटर है। संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित दूरी 300 मीटर है ।

ज से झ: रेखा, येराकोंडा आरएफ सीमा को छूते हुए उत्तरी दिशा की ओर जाती है। और पश्चिम सीमा कंबलाकोंडा एक्सटेंशन आरएफ सीमा से गुजरते है जिसमें दब्बांद, मन्नेपलेम, गोल्लालापलेम, मालापल्ली, अप्पीकोंडापलेम ग्राम शामिल हैं और उ. 17.84462⁰ पू.83.27127⁰ के निर्देशांको पर स्टेशन –I को छूती है जो कांबलकोंडा एक्सटेशन, आरएफ का स्टेशन सं. 2 है स्टेशन ज से की कुल दूरी 8.513 किलोमीटर है। इस पारिस्थितिक संवेदी जोन की परिधि की सीमा की लम्बाई – 1782386 मीटर है । रिजर्व वन के क्षेत्र को छोडकर संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर की औसत मध्य दूरी 200 मीटर है ।

झ से ञ: यह रेखा, ममिडिलोवा ग्राम को पीछे छोड़ते हुए स्टेशन सं. 7 तक कांबलकोंडा एक्सटेंशन आरएफ सीमा के साथ-साथ पूर्वी दिशा की ओर जाती है और उ.17.85074⁰ पू.83.30030⁰ के निर्देशांकों पर डिब्बामीडिपलेम ग्राम के ओवर हेड टैंक पर स्टेशन ञ को छूती है। झ से ञ स्टेशन तक की कुल दूरी-3.190 मीटर है। इस पारिस्थितिक-संवेदी जोन की परिधि की सीमा लंबाई 604-2003 मीटर है। रिजर्व वन के क्षेत्र को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर की प्रस्तावित दूरी 300 मीटर है ।

ट से क: यह रेखा, फूटहिल्स के साथ-साथ के कांबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य सीमा के लगभग समानांतर उत्तरी दिशा में जाती है और उ. 17.87953⁰ पू. 83.31665⁰ के निर्देशांकों पर स्टेशन क पर पहुंचती है । ट से क स्टेशन तक की कुल दूरी 3.80 किलोमीटर है । इस पारस्थितिक-संवेदी जोन की परिधि की सीमा लंबाई 216-578 मीटर है । संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर प्रस्तावित दूरी 300 मीटर है ।

उपाबंध-II

पारस्थितिक-संवेदी जोन में कांबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य के भीतर आने वाले गांवों की सूची

1. आनंदपुरम मंडल:-बोयापलेम, पारादेसिपलेम, दब्बांडा, गोल्लालापलेम, गंडरेडिपलेम, मालापल्ली, अप्पीकोंडापलेम, मन्नेपलेम और डिब्बामीडिपलेम।
2. चिनागचिली मंडल:-लटचकोडुपलेम, येनडाडा, आरीलोवा, डारापलेम और अडिविवारम।

उपाबंध-III

अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र

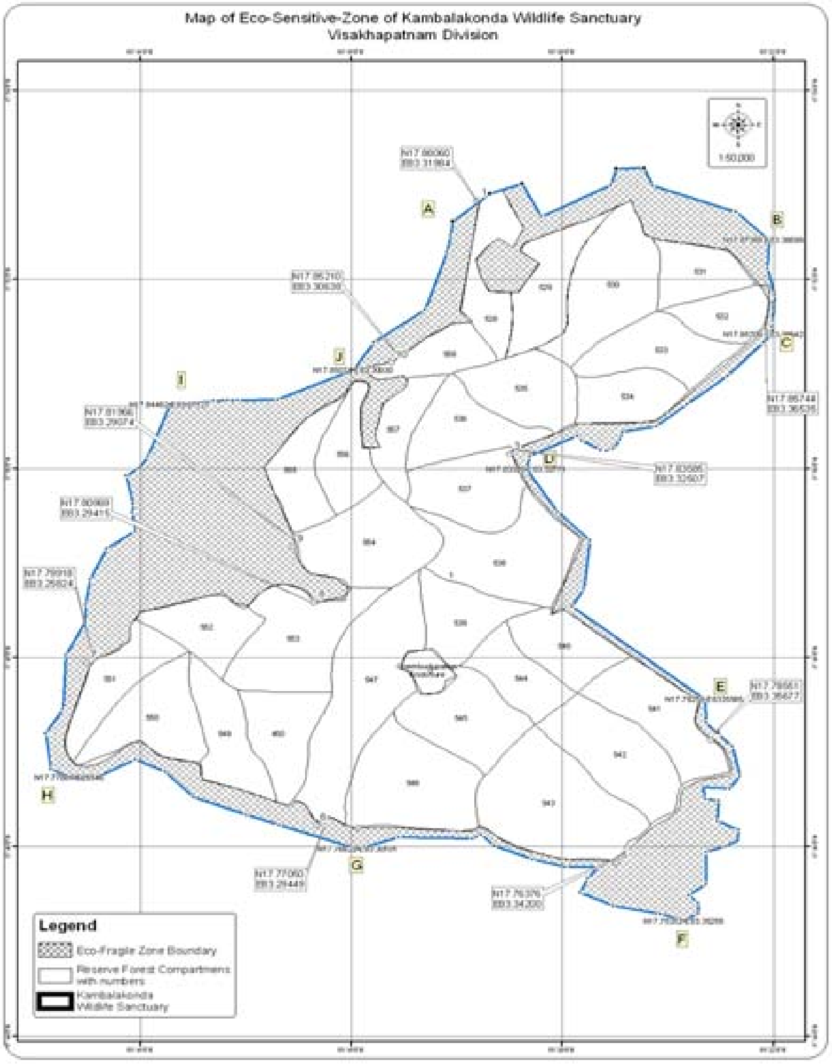

उपाबंध III

कांबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य (अक्षांश-देशांतर) के प्रमुख स्थानों के जीपीएस निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1	17.88060	83.31984
2	17.85744	83.36535
3	17.83585	83.32507
4	17.78551	83.35677
5	17.76376	83.34200
6	17.77050	83.29449
7	17.79918	83.25824
8	17.80969	83.29415
9	17.81966	83.29074
10	17.85210	83.30638

पारिस्थितिक संवेदी जोन में (अक्षांश -देशांतर) कांबलकोंडा वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख स्थानों के जीपीएस निर्देशांक

क्र.सं.	नाम	अक्षांश	देशांतर
1	ए	17.87692	83.31600
2	बी	17.87368	83.36599
3	सी	17.85700	83.36642
4	डी	17.83320	83.32771
5	ई	17.79258	83.35585
6	एफ	17.75352	83.35258
7	जी	17.76622	83.30101
8	एच	17.77881	83.25546
9	आई	17.84462	83.27127
10	जे	17.85074	83.30030

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि :
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2017

S.O. 1366(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 62 (E), dated the 7th January 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, no objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Kambalakonda Wildlife Sanctuary is situated in the heart of Visakhapatnam Mega City in Andhra Pradesh and is spread **o**ver an area of 71.39 square kilometres between 83.04' to 83.20' Longitudes and 17.34' to 17.47' Latitudes;

AND WHEREAS, the Kambalakonda Wildlife Sanctuary maintains very rich bio-diversity comprising 73 tree species, 39 species of herbs and shrubs, and 18 species of climbers, 2 species of Bamboos and 7 species of grasses, 23 mammal species, 7 species of reptiles and more than 90 species of birds have been documented from the said Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, the Kambalakonda Wildlife Sanctuary harbours large variety of flora and is characterised by a scrub jungle the major tree species of the area are *Ficus banghlensis* (Banyan) (Marri), *Acacia lucophloea* (White Bark Acacia) (Tella tumma), *Acacia chundra* (Cutch Tree) (Sundra), *Sapindus emarginatas* (Soapnut Tree) (Kunkudu), *and Wrightia tinctoria* (Pala indigo) (Reppala) etc;

AND WHEREAS, the area harbours a rich faunal diversity which includes, Leopard (*Panthera pardus)* (Chiruta Puli), Sloth Bear *(Melurus ursinus*), Wild Boar (*Sus scrofa*) (Elugu), Sambar (*Rusa unicolor*) (Kanithi), Barking Deer (*Muntiacus muntjak*) (Morige duppi), Mouse Deer (*Tragulus meminna*) (Kumidi duppi), Spotted Deer (*Axis axis*) (Duppi), Jackal (*Canis aureus*),(Nakka) and Wild Dog (*Cuon alpines*) (Rechu Kukka), etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the boundary of the protected area of the Kambalakonda Wildlife Sanctuary, Visakhapatnam as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries or and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of zero on Northern Side (due to National Highway passing on Northern side) kilometres upto 4.33 kilometres from the boundary of the Kambalakonda Wildlife Sanctuary in the State of Andhra Pradesh, as the **Kambalakonda Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone** (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundary of Eco-sensitive Zone.—(1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 30.51 square kilometres in Visakhapatnam District in the state of Andhra Pradesh and includes 14 villages of 2 Mandals viz. Anandapuram and Chinagadhili in Visakhapatnam District.

(2) The extent of the Eco-sensitive Zone varying from zero on Northern Side (due to National Highway passing on Northern side) to 4.33 kilo meters from the boundary of the Kambalakonda Wildlife Sanctuary.

(3) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I** and the list of villages are given in **Annexure-II.**

(4) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes is appended as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.—

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.—** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

1) Landuse.-

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant state laws and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:-

i. widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
ii. construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
iii. small scale industries not causing pollution;
iv. cottage industries including village industries; convenience stores and local p activities and given under para 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant state laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.—The catchment areas of all natural springs, rivers and channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

3. **Tourism/ Eco-tourism.—**

(a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of 1 km. from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by The National Tiger Conservation Authority with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel or resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.— All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.— Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.— Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.— Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.— Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.— Disposal and Management of solid wastes shall be as under.-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; and the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) No burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.— Bio medical waste management shall be as under.-

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management.— The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.

(12) Construction and Demolition Waste Management.— The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) E-waste.— The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is

prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular Pollution.— Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial Units.— (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of Hill Slopes.— The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.—

All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), notification 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No. 202 of 1995 and dated 21st 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No. 435 of 2012.
2.	Setting of new industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Industries categorised as Green or White in the Central Pollution Control Board classification including agro-based small scale industries, will be regulated as per regulations.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
7.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.

B. Regulated Activities		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws: Provided Further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Setting up of brick kilns.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws.
12.	Felling of Trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
13.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures .	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
17.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable law
18.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated effluent shall be regulated as per applicable laws.

22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted .
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
36.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
37.	Environmental Awareness .	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.— (1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(i) District Collector, Visakhapatnam —Chairman

(ii) One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh for three years —Member

(iii) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Andhra Pradesh for three years —Member

(iv) Member- Secretary/ Member of the State Biodiversity Board —Member

(v) Regional Officer, State Pollution Control Board, Medak —Member

(vi) Senior Town Planner of the area/Chief Urban Planner/City Planner —Member

(vii) Deputy Conservator of Forests (In Charge of the Sanctuary), Visakhapatnam —Member Secretary.

(2) Terms of Reference.-

(a) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(b) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to

the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(c) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(d) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(e) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(f) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV.**

(g) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/53/2014-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure I

Boundary description of Eco-Sensitive Zone:

A to B: Starting from a point with co-ordinates N 17.87953^0 E 83.31665^0 E on the North East of Mindivanipalem Village. A line runs along the SH-38 and passes behind hillocks adjacent to Gambhiram Reservoir and touches the station 'B' with co ordinates N 17.87368 E 83.36599. The total distance from A to B station is 6.985 Kms. The Range of radius of the Eco-sensitive Zone is 200-780 metres on along the length. The proposed Eco-sensitive Zone distance is 200 metres surrounding the protected area excluding the present existing State and National highways road.

B to C: The line runs along the NH-5 passing through Paradesipalem Village and along Sanctuary boundary upto station no 'C' with co-ordinates N 17.85700^0 E 83.36642^0. The total distance from B to C station is 1.854 Kms. The Range of radius of the Eco-sensitive Zone is 140-308 metres on along the length. The proposed Eco-sensitive Zone distance is 100 metres surrounding the protected area.

C to D: The line runs South westerly direction behind Boravaniapalem Village and runs around the Devimetta and reaches at station 'D' with co-ordinates N17.83320^0 E 83.32771^0 near Sri Chaitanya Engineering College behind Kommadi Village. The total distance from C to D station is 5.469 Kms. The Range of

radius of the Eco-sensitive Zone is 100-690 metres on along the length. The proposed Eco-sensitive Zone distance is 100 metres surrounding the protected area.

D to E: The line runs South Easterly direction runs through patta lands and vacant lands of Kommadi, Revallapalem villages which includes Police Training Centre and Baba Institute of Technology and Sciences and passes through Housing Board Colony and Private layouts with co-ordinates N 17.79258^0 E 83.35585^0. The total distance from D to E station is 5.121 Kms. The Range of radius of the Eco-sensitive Zone is 100-286 metres on along the length. The proposed distance is 100 metres surrounding the protected area.

E to F: The line runs north along NH-5 Southerly and runs along the boundary of Seethakonda Reserve Forest which includes Indira Gandhi Zoological Park, Visakhapatnam and passes through outskirts of Endada Village at station 'F' with co-ordinates N 17.75352^0 E 83.35258^0. The total distance from E to F station is 6.335 Kms. The Range of radius of the Eco-sensitive Zone is 100-1360 mtrs on along the length. The proposed distance is 100 metres surrounding the protected area excluding the area of Reserve Forest.

F to G: The line runs Westerly direction all along the Southern boundary of Seethakonda RF Ravindranagar, Aarilova Colonies and reaches at station 'G' at Mudasarlova Reservoir with co-ordinates N 17.76622^0 E 83.30101^0. The total distance from F to G station is 6.692 Kms. The Range of radius of the Eco-sensitive Zone is 127-1280 metres on along the length. The proposed distance is 300 mtrs surrounding the protected area.

G to H: The line runs Westerly direction behind Pineapple colony and Darapalem and touches Pata Adavivaram Junction covering BRTS roads and touches station H with co-ordinates N 17.77881^0 E 83.25546^0. The total distance from G to H station is 3.375 Kms. The Range of radius of the Eco-sensitive Zone is 240-418 mtrs on along the length. The proposed distance is 300 mtrs surrounding the protected area.

H to I: The line runs Northerly direction touching Yerrakonda RF boundary and runs along the Western boundary Kambalakonda Extn RF boundary which includes Dabbanda, Mannepalem, Gollalapalem, Malapalli, Appikondapalem Villages and touches Station I which is station no.1 of Kambalakonda Extn., RF with co-ordinates N 17.84462^0 E 83.27127^0. The total distance from H to I station is 8.513 Kms. The Range of radius of the Eco-sensitive Zone is 178-2386 metres on along the length. The mean distance is 200 metres surrounding the protected area excluding the area of Reserve Forest.

I to J: The line runs Easterly direction along the Kambalakonda Extn RF boundary upto Station no.7 leaving Mamidilova Village behind and touches Station J at over head tank of Dibbameedipalem Village with co-ordinates N 17.85074^0 E 83.30030^0. The total distance from I to J station is 3.190 Kms. The Range of radius of the Eco-sensitive Zone is 604-2003 metres on along the length. The proposed distance is 300 metres surrounding the protected area excluding the area of Reserve Forest.

J to A: The line runs Northerly direction almost all parallel to Kambalakonda Wildlife Sanctuary Boundary along the foothills reaches Station A with co-ordinates N 17.87953^0 E 83.31665^0. The total distance from J to A station is 3.80 Kms. The Range of radius of the Eco-sensitive Zone is 216-578 metres on along the length. The proposed distance is 300 metres surrounding the protected area.

Annexure II

List of Villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone of Kambalkonda Eco-Sensitive Zone

1. Anandapuram Mandal:- Boyapalem, Paradesipalem, Dabbanda, Gollalapalem, Gandreddipalem, Malapalli, Appikondapalem, Mannepalem and Dibbameedipalem.
2. Chinagadhili Mandal:- Latchakodupalem, Yendada, Aarilova, Darapalem and Adivivaram.

Annexure III

Map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes

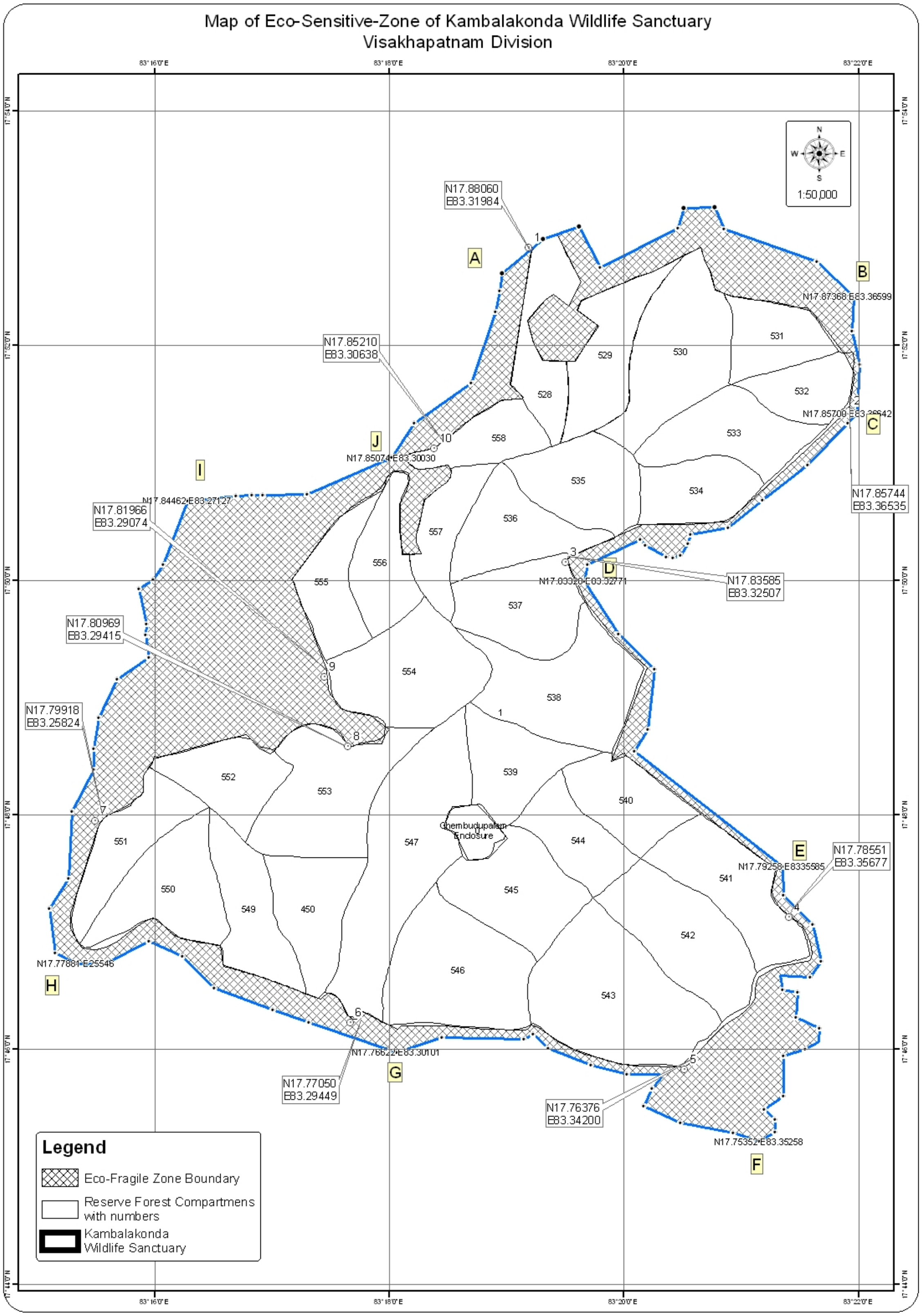

GPS Coordinates (Latitude-Longitude) of Prominent Locations of Kambalakonda Wildlife Sanctuary

Sl.no.	**Latitude**	**Longitude**
1	17.88060	83.31984
2	17.85744	83.36535
3	17.83585	83.32507
4	17.78551	83.35677
5	17.76376	83.34200
6	17.77050	83.29449
7	17.79918	83.25824
8	17.80969	83.29415
9	17.81966	83.29074
10	17.85210	83.30638

GPS Coordinates (Latitude-Longitude) of Prominent Locations of Kambalakonda Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone

Sl.no.	**Name**	**Latitude**	**Longitude**
1	**A**	17.87692	83.31600
2	**B**	17.87368	83.36599
3	**C**	17.85700	83.36642
4	**D**	17.83320	83.32771
5	**E**	17.79258	83.35585
6	**F**	17.75352	83.35258
7	**G**	17.76622	83.30101
8	**H**	17.77881	83.25546
9	**I**	17.84462	83.27127
10	**J**	17.85074	83.30030

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings :
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan:
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986:
8. Any other matter of importance:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.03 12:11:46 +05'30'